षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स० श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० श्री चन्दन कुमार, स०वि०स०	"सारण जिला सहित पूरे राज्य के जिला परिषद् में पंचम चरण के तहत् मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 30 मार्च, 2017 को शिक्षकों का नियोजन किया गया, जिनसे छात्र / छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है । एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभीतक शिक्षकों को मानदेय राशि का भुगतान नहीं किये जाने से शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार आर्थिक कठिनाई में हैं । अत: पंचम चरण में नियोजित शिक्षकों को अविलम्ब मानदेय की राशि भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री फराज फातमी, स०वि०स० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स०	"राज्य सरकार के सात निश्चत के अन्तर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत 15-20 वर्ष के युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण तथा 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना संचालित की जा रही है । कुशल युवा प्रशिक्षित छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का प्रावधान नहीं है । इस योजना का उद्देश्य 12वीं पास छात्र जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें आर्थिक मदद देना तथा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ावा देना है । माह जुलाई, 2017 तक 112000 युवा कुशल युवा कार्यक्रम से प्रशिक्षित हुए, इनमें से अधिकांश 12वीं पास कर उच्च शिक्षा आर्थिक कमजोरी के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । राज्य का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2015-16 में 14.3 तथा 2016-17 में 14.4 रही जबकि राष्ट्रीय अनुपात 24 है । अतः कुशल युवा कार्यक्रम से प्रशिक्षित, 12वीं उत्तीर्ण इच्छुक छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/18- 1356-1366 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
15.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/18- 1356-1366 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
15.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।